सं0सं0–7/यक्ष्मा–3–01/2012– 1870

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।
निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/दरभंगा
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 24-4-2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹29,36,99,400/–(उनतीस करोड़ छत्तीस लाख निनान्वे हजार चार सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹29,36,99,400/–(उनतीस करोड़ छत्तीस लाख निनान्वे हजार चार सौ) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियॉ एवं मशीने एवं उपस्कर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/ दरभंगा/ अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर/ संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे

5. वैसे अस्थायी पद जिनका अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2011–12 में किया गया है उसके लिए भी छः माह की राशि सम्मिलित है ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जॉच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

24/4/2012

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

11. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

14. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

15. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

24/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1870 पटना, दिनांक : 24-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी / पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	उप निदेशक(यक्ष्मा) का कार्यालय	3000000	1530000	450000	200000	36000	36000	5252000	10000	4500	8000	4000	40000	10000	4000	0	10000	5000	5347500
2	निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	18600000	9486000	2790000	200000	223200	223200	31522400	30000	30000	20000	21000	500000	10000	10000	70000	30000	15000	32258400
3	निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	8000000	4080000	1200000	0	96000	96000	13472000	10000	4500	6000	8000	300000	10000	4000	5000	20000	10000	13849500
4	अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर भोजपुर	12800000	6528000	1920000	0	153600	153600	21555200	10000	8000	12000	15000	300000	10000	5000	5000	30000	15000	21965200
5	अपर मुख्य चि0पदा0,पटना	2500000	1275000	375000	200000	30000	30000	4410000	10000	4500	6000	1000	40000	10000	2000	0	15000	7500	4506000
6	अपर मुख्य चि0पदा0,भोजपुर	3900000	1989000	585000	0	46800	46800	6567600	10000	4500	6000	3000	40000	10000	4000	0	15000	7500	6667600
7	अपर मुख्य चि0पदा0,बक्सर	3500000	1785000	525000	0	42000	42000	5894000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	5992500
8	अपर मुख्य चि0पदा0,रोहतास	4500000	2295000	675000	0	54000	54000	7578000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	7676500
9	अपर मुख्य चि0पदा0,गोपालगंज	4800000	2448000	720000	0	57600	57600	8083200	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	8181700
10	अपर मुख्य चि0पदा0,कटिहार	4800000	2448000	720000	0	57600	57600	8083200	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	8181700
11	अपर मुख्य चि0पदा0,पूर्णिया	3600000	1836000	540000	0	43200	43200	6062400	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	6160900
12	अपर मुख्य चि0पदा0,मधुबनी	3600000	1836000	540000	0	43200	43200	6062400	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	6160900
13	अपर मुख्य चि0पदा0,दरभंगा	2500000	1275000	375000	0	30000	30000	4210000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	4308500
14	अपर मुख्य चि0पदा0,सारण	5100000	2601000	765000	0	61200	61200	8588400	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	8686900
15	अपर मुख्य चि0पदा0,सीतामढ़ी	3900000	1989000	585000	0	46800	46800	6567600	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	6666100
16	अपर मुख्य चि0पदा0,समस्तीपुर	4500000	2295000	675000	0	54000	54000	7578000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	7676500
17	अपर मुख्य चि0पदा0,जहानाबाद	3900000	1989000	585000	0	46800	46800	6567600	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	6666100
18	अपर मुख्य चि0पदा0,कैमूर	3000000	1530000	450000	0	36000	36000	5052000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	5150500
19	अपर मुख्य चि0पदा0,सहरसा	2700000	1377000	405000	0	32400	32400	4546800	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	4645300
20	अपर मुख्य चि0पदा0,जमुई	2500000	1275000	375000	0	30000	30000	4210000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	4308500
21	अपर मुख्य चि0पदा0,किशनगंज	2500000	1275000	375000	0	30000	30000	4210000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	4308500
22	अपर मुख्य चि0पदा0,बेतिया	6500000	3315000	975000	0	78000	78000	10946000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	11044500

18(7)9
24-4-12

24/4/2012

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी / पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं प्रतियाँ (21–01)	म एवं उपस्कर (52–01)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23	अपर मुख्य चि0पदा0,गया	3900000	1989000	585000	0	46800	46800	6567600	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	66
24	अपर मुख्य चि0पदा0,सिवान	5100000	2601000	765000	0	61200	61200	8588400	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	8686
25	अपर मुख्य चि0पदा0,बेगुसराय	2700000	1377000	405000	0	32400	32400	4546800	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	46453
26	अपर मुख्य चि0पदा0,मुंगेर	3000000	1530000	450000	0	36000	36000	5052000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	515050
27	अपर मुख्य चि0पदा0,मधेपुरा	2500000	1275000	375000	0	30000	30000	4210000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	430850
28	अपर मुख्य चि0पदा0,मुजफ्फरपुर	5100000	2601000	765000	0	61200	61200	8588400	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	868690
29	अपर मुख्य चि0पदा0,मोतिहारी	5100000	2601000	765000	0	61200	61200	8588400	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	868690
30	अपर मुख्य चि0पदा0,वैशाली	6500000	3315000	975000	0	78000	78000	10946000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	1104450
31	अपर मुख्य चि0पदा0,नवादा	3500000	1785000	525000	0	42000	42000	5894000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	599250
32	अपर मुख्य चि0पदा0,नालन्दा	6500000	3315000	975000	0	78000	78000	10946000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	1104450
33	अपर मुख्य चि0पदा0,औरंगाबाद	3200000	1632000	480000	0	38400	38400	5388800	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	548730
34	अपर मुख्य चि0पदा0,भागलपुर	3500000	1785000	525000	0	42000	42000	5894000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	599250
35	अपर मुख्य चि0पदा0,बॉका	2500000	1275000	375000	0	30000	30000	4210000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	430850
36	अपर मुख्य चि0पदा0,खगड़िया	2500000	1275000	375000	0	30000	30000	4210000	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	430850
37	अपर मुख्य चि0पदा0,अररिया	2400000	1224000	360000	0	28800	28800	4041600	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	414010
38	अपर मुख्य चि0पदा0,सुपौल	2400000	1224000	360000	0	28800	28800	4041600	10000	4500	6000	1500	40000	10000	4000	0	15000	7500	414010
	कुल	**171100000**	**87261000**	**25665000**	**600000**	**2053200**	**2053200**	**288732400**	**400000**	**200000**	**250000**	**100000**	**2500000**	**380000**	**157000**	**80000**	**600000**	**300000**	**29369940**

(उनतीस करोड़ छत्तीस लाख निनान्वे हजार चार सौ) रू. मात्र

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

18(7)9
24-4-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	208282000	171100000	37182000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	114555000	87261000	27294000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	31242000	25665000	5577000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1689000	600000	1089000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2585000	2053200	531800
6	अन्य भत्ता (01–07)	2546000	2053200	492800
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**360899000**	**288732400**	**72166600**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	800000	400000	400000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	400000	200000	200000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	500000	250000	250000
11	दूरभाष (13–03)	200000	100000	100000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	5000000	2500000	2500000
13	विधि प्रभार (13–05)	1000000	380000	620000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	400000	157000	243000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	200000	80000	120000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉं (21–01)	1200000	600000	600000
17	दवा भंडार (21–02)	600000	0	600000
18	आहार / पथ्य (21–03)	600000	0	600000
19	लधु कार्य (27–01)	1000	0	1000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	600000	300000	300000
	कुल योगः–	**373401000**	**293699400**	**79701600**

18(7)a
24-4-12

सरकार के संयुक्त सचिव